पत्र संख्या : 7ब/2701 गै०यो० ज०सं०–03/12........255

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/हजारीबाग/मेदिनीनगर,
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता सह संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड राँची।

राँची, दिनांक 26-3-13

विषय :– वित्तीय वर्ष 2012–13 के मांग संख्या– 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष–2701– मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष–03–मध्यम सिंचाई–वाणिज्यिक, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–06–छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012–13 में बजट मुख्य शीर्ष **2701– मध्यम सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701–मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001–निदेशन तथा प्रशासन/ 06–छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना	**-51.015**

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि –ऋणात्मक रुपये एक्यावन लाख एक हजार पाँच सौ मात्र

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2012–13 के बजट उपबंध ₹ 5631.15 लाख एवं प्रथम अनुपूरक (वित्त विभाग का पत्रांक 11/बी० टी० ई०– 04/2012/310/बजट दिनांक 17.09.12) से प्राप्त राशि ₹ 36.45 लाख सहित कुल ₹ 5667.60 लाख **(छप्पन करोड़ सड़सठ लाख साठ हजार)** मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।

6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(सुरेश प्रसाद भगत) सहा० अभि०	(जयप्रकाश भट्टाचार्या) उप सचिव (अभि०)	(एस0के0सिन्हा) संयुक्त सचिव (अभि०)	(बी० सी० निगम) विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा ।

9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरत प्रत्यर्पण कर दें।

10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।

11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 30 मार्च 2013** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (***http://www.wrdjharkhand.nic.in)*** ***पर भी उपलब्ध है।***

अनु॰ :– यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 255 राँची, दिनांक :– 26-3-13

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी**, राँची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/गढ़वा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 255 राँची, दिनांक :– 26-3-13

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), राँची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(सुरेश प्रसाद भगत)	(जयप्रकाश भट्टाचार्या)	(एस॰ के॰ सिन्हा)	(बी॰ सी॰ निगम)	(एस० के० शतपथी)
सहा॰ अभि॰	उप सचिव (अभि॰)	संयुक्त सचिव (अभि॰)	विशेष सचिव	प्रधान सचिव

परिशिष्ट I

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष–2701–मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–03–मध्यम सिंचाई–वाणिज्यिक

पत्रांक 255 दिनांक 26-3-13 का अनुलग्नक

लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष–06–छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2012–2013		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें					विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	जी0 यापन भत्ता	योग	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां ईंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49N270103001060101	49N270103001060101	49N270103001060101	49N2701030 01060110	49N270103001060112	49N270103001060213	49N270103001060315	49N270103001060316	49N270103001060323	49N270103001060333	49N270103001060334	49N270103001060337	49N270103001060442	49N270103001060760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	9.240	5.950	15.190	0.000	0.000	0.824	0.800	0.000	0.000	0.400	0.000	0.100	1.200	0.000	**18.514**	
		अतिरिक्त आवंटन	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**-0.234**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**-0.240**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**-0.474**	
		अद्यतन आवंटन	9.240	5.950	15.190	0.000	0.000	0.590	0.800	0.000	0.000	0.160	0.000	0.100	1.200	0.000	**18.040**	
2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	16.000	7.000	23.000	0.000	0.000	0.300	0.800	0.000	0.950	0.500	0.000	0.000	1.800	0.000	**27.350**	
		अतिरिक्त आवंटन	**-0.630**	**0.000**	**-0.630**	**0.000**	**0.000**	**-0.300**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**-0.930**	
		कुल आवंटन	15.370	7.000	22.370	0.000	0.000	0.000	0.800	0.000	0.950	0.500	0.000	0.000	1.800	0.000	**26.420**	
3	कदवन बांध अंचल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन	63.000	37.000	100.000	0.000	0.000	0.721	0.500	0.000	0.000	0.170	0.350	0.100	0.800	0.000	**102.641**	
		अतिरिक्त आवंटन	**-12.570**	**-10.000**	**-22.570**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**-0.170**	**-0.025**	**-0.100**	**0.000**	**0.000**	**-22.865**	
		अद्यतन आवंटन	50.430	27.000	77.430	0.000	0.000	0.721	0.500	0.000	0.000	0.000	0.325	0.000	0.800	0.000	**79.776**	
4	जलपथ प्रमंडल, बरही	पूर्व का आवंटन	170.000	102.000	272.000	0.850	0.000	3.300	0.300	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	**276.550**	
		अतिरिक्त आवंटन	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.250**	**0.100**	**0.000**	**0.000**	**0.350**	
		अद्यतन आवंटन	170.000	102.000	272.000	0.850	0.000	3.300	0.300	0.000	0.000	0.100	0.250	0.100	0.000	0.000	**276.900**	
5	जलपथ प्रमंडल, रॉंची	पूर्व का आवंटन	362.000	103.650	465.650	0.000	0.200	2.844	0.500	0.000	0.250	0.300	2.000	0.500	0.000	0.200	**472.444**	
		अतिरिक्त आवंटन	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.571**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.571**	
		अद्यतन आवंटन	362.000	103.650	465.650	0.000	0.200	3.415	0.500	0.000	0.250	0.300	2.000	0.500	0.000	0.200	**473.015**	
6	रूपांकण एवं मोनि0 प्र0, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	23.000	13.000	36.000	0.000	0.000	0.780	0.300	0.000	0.500	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	**37.780**	
		अतिरिक्त आवंटन	**-17.810**	**-9.620**	**-27.430**	**0.000**	**0.000**	**-0.037**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**-0.200**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**-27.667**	
		अद्यतन आवंटन	5.190	3.380	8.570	0.000	0.000	0.743	0.300	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	**10.113**	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		**-31.010**	**-19.620**	**-50.630**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**-0.410**	**0.025**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**-51.015**	

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध–14/2010–50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि – ऋणात्मक रुपये एक्यावन लाख एक हजार पॉंच सौ मात्र

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव